

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक: आर-१८/जे०डी०/लखनऊ-१४(गौतम)

१२

दिनांक: मार्च

२०

२०१४

सेवा में,

महाप्रबन्धक (आगु एवं विप्लवजन)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स स्वेक्सी रियलटेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जी० सी०-०३, गौर सिटी-१, प्लॉट न०-४ सेक्टर-०१, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित "टावर-जी०" ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: २०-०३-२०१४ मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा०स० द्वारा अभिलेखों का परीक्षण व अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

प्रश्नगत भवन का भूखण्ड/प्लॉट एरिया-२०,०००.०० वर्ग मी० जिसमें पूर्व से ब्लाक-ए०,बी०सी०डी०ई० एवं एफ पूर्व से स्वीकृत है तथा वर्तमान प्रस्तावित ब्लाक-जी० का विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी०	ऊँचाई मी० में
१	टावर-जी०	बेस०, स्टिल्ट एवं २५ तल	१२४०.३३	७७१.९२७	६१.६०

वेस्टमेंट- प्रश्नगत भवन में वेस्टमेंट पूर्व से प्रस्तावित है कुल कवर्ड एरिया-१५,२७६.०० वर्ग मी० प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेंट (एन०बी०सी-२००५ आवासीय श्रेणी (ए०-४) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

आवागत व्यवस्था:-

१- पहुच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई ६० मी० मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी २४ मी० चौड़ा रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

२- सैटबैक- प्रस्तावित परिसर के सैटबैक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-१६.०० मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-०९.०० मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-०९.०० मी०।

डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-०९.०० मी० प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावर जी टावर एफ से मिला हुआ है जिसके तीन ओर ०६ मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान दर्शाया गया है।

३-निकास मार्ग:- प्रस्तावित ब्लाक में ०२ स्टेयरकेश प्रस्तावित है कमरा प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई १.५ व १.२५ मी० प्रस्तावित है, जिनको प्लॉट के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

४- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन०बी०सी०, २००५ के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वांछनीय है।

१-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में २,००,००० दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानको के अनुसार वांछनीय है जो पूर्व के टावरो हेतु निर्गत अनापत्ति में अंकित किया गया है। जिसका आवेदक द्वारा प्रश्नोत्तरी में अंकित किया गया है।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
लखनऊ

- 2-पम्प-भूनिगत टैंक के पास 2850 एलपीएम क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जो की पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
- 3-टेरिस टैंक-ब्लाक जी की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली० स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक तल पर होजरील एन०बी०सी० मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 5-वेटराइजर- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन०बी०सी० एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक सिप्रिकलर सिस्टम- सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक सिप्रिकलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम- प्ररनगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन- प्ररनगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-वेन्टीलेशन- प्ररनगत भवन के वेसमेन्ट मे वेन्टीलेशन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 14-पी०ए० सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 15-हैलीपेड- प्ररनगत भवन मे हैलीपेड का प्राविधान एन०बी०सी० मानक के प्रस्तर सी०-10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।
- 16-प्रशिक्षित स्टाफ- प्ररनगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन०बी०सी०-2005 के प्रस्तर सी०-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
- 17-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था- प्ररनगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमेन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी ग्यनको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स ग्लेक्सी रियल्टेक प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-जी० सी०-03, गौर सिटी-1, प्लॉट न०-4 सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित 'टावर-जी०' ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पूर्वत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार स्थापित करे उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(1000 रु० साद)
सयकत निदेशक, फायर सर्विस,
उ०प्र०, लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स ग्लेक्सी रियल्टेक प्रा० लि० प्लॉट न०-4 सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुशालनार्थ।